भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4123
24 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएसची/सीएचसी में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव

4123. श्री हाजी फजलुर रहमान:
श्री देवजी पटेल:
श्री दिलीप शइकीया:
श्री वाई. देवेन्द्रप्पा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सीएचसी) में चिकित्सकों, प्रयोगशाला तकनीशियनों और फार्मासिस्टों की कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ख) रिक्त पदों को भरने और ग्रामीणों के लिए समुचित स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है।किए जाने का विचार है;
(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने के लिए डॉक्टरों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) सरकार द्वारा गांवों में एलोपैथिक चिकित्सकों के अलावा अन्य होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) और (ख): ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी (आरएचएस) एक वार्षिक प्रकाशन है जो राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिए गए स्वास्थ्य परिचर्या के प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में कार्यशील उप-केंद्रों, पीएचसी, सीएचसी, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या का ब्यौरा आरएचएम 2021-22 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/RHS%202021%2022.pdf

राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को पोस्टिंग और स्थानांतरण की पारदर्शी नीतियां बनाने और स्वास्थ्य पेशेवरों की तर्कसंगत तैनाती सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए आवश्यक पद संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा भरे जाने होते हैं अत:उन पर रिक्त पदों तो भरने के लिए जोर डाला जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत ऐसी निष्पक्ष, किफायती और गुणवत्तापरक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच हासिल करने की परिकल्पना की गई है जो लोगों की जरूरतों के प्रति

उत्तरदायी और संवेदनशील हों। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उनसे कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स के रूप में प्रस्तावों के लिए अनुमोदन प्रदान करती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी आरओपी का विवरण निम्नलिखित वेब लिंक पर उपलब्ध है।

https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

(ग) और (घ): एनएचएम के अंतर्गत, देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य विशेषज्ञों को प्रैक्टिस करने के लिए निम्नलिखित प्रकार के प्रोत्साहन और मानदेय प्रदान किए जाते है:

- ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता और उनके आवासीय क्वार्टरों की व्यवस्था की जाती है ताकि उन्हें ऐसे क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में सेवा करना रुचिकर लगे।

- ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में सिजेरियन सेक्शन करने के लिए विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु स्त्री रोग विशेषज्ञोंप्रशिक्षित (ईएमओसी) आपातकालीन प्रसूति परिचर्या/, बाल रोग विशेषज्ञों और एनेस्थेटिस्टप्रशिक्षित डॉक्टरों को मानदेय भी (एलएसएएस) जीवन रक्षक एनेस्थीदसिया कौशल/ प्रदान कि◌या जाता है।

- किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य गतिविधियों के संचालन के लिए प्रोत्साहन जैसे डॉक्टरों के लिए विशेष प्रोत्साहन, समय पर एएनसी जांच और रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने के लिए एएनएम के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

- राज्यों को जैसी रणनीतियों "यू कोट वी पे"में छूट सहित विशेषज्ञ को आकर्षित करने के लिए समुचित वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है।

- गैरमौद्रिक प्रोत्साहन-, जैसे दुर्गम क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में प्राथमिकता देने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आवास संबंधी व्यवस्थाओं में सुधार किए जाने को भी एनएचएम के तहत शुरू किया गया है।

- विशेषज्ञों की कमी से निपटने के लिए डॉक्टरों के बहुकौशल को एनएचएम के तहत बढ़ावा दिया - जाता है। मौजूदा एचआर का कौशल उन्नयन करना स्वास्थ्य परिणामों में सुधार प्राप्त करने के लिए एनआरएचएम के तहत एक और प्रमुख कार्यनीति है।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम (एनएमसी),) की धारा 201951के अनुसार भारत के (दुर्गम क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष की /दूरस्थ /राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के विनियमों में राज्य के ग्रामीण 10 सेवा के लिए% तक तथा पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनईईटी में (पीजी) 30 अधिकतम% की दर से अंकों के प्रोत्साहन का प्रावधान है। इसके अलावा, 50% मेडिकल डिप्लोमा सीटें राज्य सरकार के ऐसे सेवारत मेडिकल डॉक्टरों के लिए आरक्षित हैं जिन्होंने दूरस्थ तथा अथवा दुर्गम क्षेत्रों में /सेवाएं दी हैं।

*****